19/3/25 O/L

समक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

जयपुर (द्वितीय),जयपुर

परिवाद पत्र संख्या........../2025

योगेन्द्र सिंह बडियाल पुत्र श्री भंवर सिंह, जाति राजपूत आयु 68

.....परिवादी

ब ना म

(1) जे.बी.इण्डस्ट्रीज जरिये विमल कुमार अग्रवाल जरिये चैयरमेन

(2) शाहरूख खान अभिनेता

(3) अजय देवगन अभिनेता

(4) टाईगर श्रोफ पुत्र श्री जैकी श्रोफ अभिनेता

...... अप्रार्थीगण

परिवाद पत्र अंतर्गत धारा-35 एवं धारा-89 (निवासी) उपभोक्ता

अधिनियम 2019(दो हजार उन्नीस)

महोदय,

परिवादी ओर से परिवाद पत्र निम्न प्रकार पेश है :-

1. यह कि परिवादी अधिवक्ता है और समाज सेवा एंव समाज को जागरूक करने के कार्यों में भाग लेता है और समाज के उत्थान एंव सामाजिक बुराइयो एंव दुष्प्रचार के खिलाफ कार्यवाही करता है।
2. यह कि अप्रार्थी संख्या एक विमल गुटखा की निर्माता कंपनी है और विमल गुटखे का उत्पाद एंव भारत वर्ष में विक्रय कर सप्लाई का कार्य करती है और उक्त विमल गुटखे के प्रचार व प्रचार का कार्य अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 बतौर अभिनेता करते है।
3. यह कि विमल गुटखा में केसर का मिश्रण होने का भ्रामक प्रचार अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 द्वारा किया जाता है ताकि आमजन उक्त अभिनेता के द्वारा उक्त गुटखा प्रयोग करने से प्रेरित होकर अधिक से अधिक मात्रा में गुटखो को क्रय कर उसका सेवन करे ताकि अप्रार्थी संख्या एक अप्रत्याक्षित रूप से लाभ मिल सके, जबकि सच्चाई यह है कि बाजार में केसर की कीमत 4 लाख रूपये प्रति किलो है और गुटखामात्र 5 रूपये का आता है जिसमें केसर मिलाना तो दूर उसकी सुगन्ध भी नही डाली जा सकती है ऐसे में एक आमजन उक्त भ्रामक

प्रचार प्रसार के चलते उक्त सेहत के लिए हानिकारक गुटखे का सेवन कर रहा है और उक्त अभिनेताओ द्वारा 'उक्त पान मसाले में दाने दाने में केसर का दम" दिखाकर विमल गुटखे का दुष्प्रचार किया जा रहा है जिससे अप्रार्थी संख्या एक करोडो रूपयो का व्यापार कर रही है और आमजन नियमित उक्त हानिकारक व स्वास्थ्य के लिए घातक गुटखे का प्रयोग कर कैन्सर जैसी गंभीर बीमारी को न्यौता दे रहे है।

4. यह कि विमल गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इसकी जानकारी निर्माता कंपनी को भी है बावजूद इसके आमजन को भ्रामक व भ्रमित विज्ञापन के आधार पर गुटखा केसरयुक्त के नाम से क्रय करने हेतु आमंत्रण किया जा रहा है इस दुष्प्रचार व प्रसार से आम जन को जनहानि व स्वास्थ्य हांनि का सामना करना पड रहा है जिसके लिए अप्रार्थीगण पृथक पृथक एंव परोक्ष रूप से जिम्मेंदार है।

5. यह कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के सहयोग से उक्त भ्रामक प्रचार प्रसार को जारी किये हुए है जिससे लगातार आम जन गुटखे का सेवन कर रहे है और उसके भविष्य में गंभीर परिणाम होने वाले है केसर के नाम से आम जन भ्रमित हो रहा है जबकि इसमें केसर जैसे किसी पदार्थ का कोई मिश्रण उक्त उत्पाद में नही है।

6. यहकि विपक्षी संख्या एक निर्माता कंपनी व उक्त विमल गुटखे के प्रचार प्रसार में लगे अभिनेता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्व दुष्प्रचार व प्रसार व आम जन के साथ धोखाधडी करने एंव विमल गुटखा क्रय करने के लिए आमंत्रित करने के लिए कानूनी कार्यवाही किया जाना व उनके विरूद्व जुर्माना अधिरोपित किया जाना व तुरन्त प्रभाव से उक्त विमल गुटखे का विज्ञापन पर रोक लगाना न्यायहित व आमजन के हित में आवश्यक है। इसलिए यह परिवाद पत्र माननीय मंच के समक्ष सुदृढ आधारो पर पेश किया जा रहा है।

7. यह कि परिवादी का निवास ए सी 4 गायत्री नगर सवाई जयसिंह हाइवे में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को यह परिवाद सुनने एंव तय करने का अधिकार प्राप्त है।

8. यह कि परिवाद निर्धारित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः परिवादपत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि परिवादिया का परिवाद पत्र स्वीकार किया जाकर निम्न अनुतोष दिलवाया जावे :-

1. यह कि अप्रार्थी संख्या एक को आदेशित किया जावे कि वह तुरंत प्रभाव से अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के माध्यम से किये जा रहे दुष्प्रचार विज्ञापन को तुरंत प्रभाव से रोके।

2. यह कि अप्रार्थीगण द्वारा मिलीभगत से विमल गुटखे को क्रय करने हेतु दुष्प्रचार करने एंव गुटखे क्रय करने को आज

तक आमंत्रण किये जाने होने वाले नुकसान हेतु अप्रार्थीगण पर माननीय मंच द्वारा ज्यादा से ज्यादा जुर्माना अधिरोपित करे ताकि भविष्य में कोई भी निर्माता कंपनी इस प्रकार का दुष्प्रचार व प्रसार नही करे ना करावे।

3. यह कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय बहक परिवादिया उचित समझे, अप्रार्थी से दिलायी जाये।

जयपुर

दिनांक

परिवादी

(योगेन्द्र सिंह बडियाल)

सत्यापन

मै, उपरोक्त परिवादी योगेन्द्र सिंह बडियाल सशपथ सत्यापित करती हूं कि उक्त परिवाद पत्र में वर्णित तथ्य सर्वथा सही व सत्य है कोई तथ्य छिपाया नही है ना ही मिथ्या अंकन किया गया है। ईश्वर मेरा साक्षी है।

जयपुर

दिनांक

सत्यापनकर्ता

(योगेन्द्र सिंह बडियाल)

NOTARY PUBLIC
Mohan Lal Khinchee
Advocate
R.N. - 29288
Jaipur (Raj.)
Exp. 26-12-2029
Government of India

समक्ष जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग

जयपुर (द्वितीय),जयपुर

परिवाद पत्र संख्या........../2025

योगेन्द्र सिह बनाम जे.बी.इण्डस्ट्रीज

परिवाद पत्र की ताईद में शपथ पत्र

मै, योगेन्द्र सिंह बडियाल पुत्र श्री भंवर सिंह, जाति राजपूत आयु 68 साल निवासी-एसी-4, गायत्री सदन, सवाई जयसिंह हाइवे बनीपार्क जयपुर, 302016 राजस्थान का सशपथ बयान करता हूं :-

1. यह कि मै उपरोक्त उनवानी प्रकरण में परिवादी हूं और प्रकरण के तथ्यो से वाकिफ हूं।
2. यह कि संलग्न परिवाद पत्र मे वर्णित तथ्य मेरी निजी ज्ञान में सही है कुछ छिपाया नही है।
3. यह कि उक्त शपथ पत्र को परिवाद पत्र का अंग माना जाकर पढा व सुना जावे।

NOTARY PUBLIC
Mohan Lal Khinchee
Advocate
R.N. - 29288
Jaipur (Raj.)
Exp. 26-12-2029
Government of India

जयपुर,दिनांक

शपथग्रहिता,

सत्यापन

मै,उपरोक्त शपथग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र का मद संख्या एक ता तीन मेरी निजी जानकारी में सर्वथा सही है कुछ छिपाया नही है ना ही मिथ्या अंकन किया गया है।

सत्यापनकर्ता,

जयपुर

दिनांकः

ATTESTED
NOTARY
GOVT. OF INDIA
JAIPUR (RAJ.)
05 MAR 2025

केसर-युक्त
विमल
Gutkha
बोलो जुबां केसरी
91 8515981259 www.vimalgutkhacompany

प्रदर्श – 2